

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Criminal Writ Petition No. 409/2017

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री महेश शर्मा।
लोक अभियोजक श्री वी.एस. गोदारा।
अयाची के अधिवक्ता श्री सी पी शर्मा।

:: आदेश ::

23.07.2018

योग्य अधिवक्ता याची के निवेदन अनुसार पत्रावली दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे, तब तक पूर्व में पारित अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/—